

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया।

असगर आलम खान, बी.एस.सी.

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा. शि. ए. स. 01030

Asghar Alam Khan, B.E.S.

District Programme Officer, (EE & SSA)



शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा परियोजना, गया
शिक्षा भवन, गया- 823001
EDUCATION DEPARTMENT
BIHAR EDUCATION PROJECT, GAYA
Shiksha Bhawan, Gaya- 823001

प्रस्वीकृति कोड संख्या (236149520211230172338)

पत्रांक 1382

दिनांक 03/06/22

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

RAGHUKUL INTERNATIONAL SCHOOL,

JAGDISH PATH, MEDICAL CHAPARDAH ROAD, GAYA, 823004

विषय- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education-RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

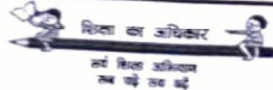
महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 30.12.2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय RAGHUKUL INTERNATIONAL SCHOOL, JAGDISH PATH, MEDICAL CHAPARDAH ROAD, GAYA, 823004 कक्षा 1 - 8 तक संचालन हेतु तीन वर्ष (20.04.2022 से 30.12.2025) की अवधि के लिए दिनांक 20.04.2022 को जिला निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति के बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में सशर्त औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन की अधीन होगी।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलामकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैंपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चों को उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों का इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे:-
(I) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधान का अनुपालन और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
(II) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
(III) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
(IV) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
(V) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांक/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
(VI) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
(VII) शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा-24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
(VIII) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् है-

Email: hepcgaya@gmail.com



Web: www.educationgaya.in

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया।

प्रोग्राम ऑफिसर, प्रोग्राम ऑफिसर



शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा परियोजना, गया
शिक्षा भवन, गया- 823001
EDUCATION DEPARTMENT
BIHAR EDUCATION PROJECT, GAYA
Shiksha Bhawan, Gaya- 823001

क्र० सं०	विद्यालय में उपलब्ध परिसम्पत्ति/सुविधा की उपलब्धता	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	10.31.31
2	कुल निर्मित क्षेत्र	10.3131
3	खेल के मैदान का क्षेत्र	RO, CCTV, PLAYGROUND
4	वर्ग कक्षा की कुल संख्या	7
5	प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्षा	4
6	बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय	Indian, Boys :-5, Girls 5
7	पेयजल की सुविधा	3
8	मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर	0
9	बाधारहित पहुँच	
10	शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कुद उपकरण/पुस्तकालय	WHITE BOARD, GLOBE, MAP, TLM, CRICKET KITS, BASKETBALL, VOLLEY BALL, CHESS, CARROM, LUDO (N, O, Newspaper Magazine :-2)

- कोई भी अस्वीकृत वर्ग का विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
- विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
- विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से 13 संचालित होगा।
- विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
- लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा. शि. एवं सं० शिक्षा, गया को (e-mail एवं निबंधित डाक से) प्रेषित किया जाएगा।
- आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या 236149520211230172338, 2021 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय 'मॉग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
- यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
- अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें एवं अनुलग्नक IV के रूप में एवं ऑनलाईन जेनरेटड प्रमाण-पत्र की प्रति।

अनुलग्नक-यथोक्त।

संभाग प्रमारी 3.6.22

ज्ञापांक 1382 गया/दिनांक 03/06/22

प्रतिलिपि:-जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा. शि. एवं सं० शिक्षा अभियान
-सह-सचिव प्रस्वीकृति समिति, गया।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा. शि. एवं सं० शिक्षा अभियान
-सह-सचिव प्रस्वीकृति समिति, गया।